

परिशिष्ट-1

टीप

विधानसभा प्रश्न क्रमांक

बड़वानी जिले के विकासखण्ड पानसेमल के ग्राम रौखी बुजुर्ग पर सुसरी नदी पर पुल निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति रु. 149.93 लाख की वर्ष 2007 एवं 2008 में 03 भागों में दी गई थी। यह कार्य गुणवत्ता विहीन होने से तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रारंभ की गई साथ दोषियों अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण क्र. 9/2014 भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 एवं 420 के अंतर्गत पुलिस थाना केथिया जिला बड़वानी में प्रकरण पंजीबद्ध है।

उक्त निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड का नहीं होने से पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।

(एस.के.खरे)

अधीक्षण यंत्री (तकनीकी)

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)